न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 49/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/210

उनवान

1. श्रीमती मोहनी पत्नी स्व. दुदा जी डांगी आयु वयस्क, निवासी महाराज की खेड़ी. तह० वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती हुडी पत्नी जगा जी डांगी आयु वयस्क निवासी महाराज की खेड़ी, तह० वल्लभनगर, हाल निवासी नेता का गुड़ा, तह० देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्री भंवरू पिता मेघा जी डांगी आयु वयस्क निवासी महाराज की खेड़ी, तह० वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री पुरण पिता मेघा जी हांगी आयु वयस्क निवासी महाराज की खेड़ी, तह० वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती जेतीबाई पिता स्व. पुरा जी डांगी, आयु वयस्क निवासी महाराज की खेडी. तह० वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती हीराबाई पिता स्व. पुरा जी डांगी मृतक के बजाए–
   5/1 बाबुलाल पिता कुका डांगी आयु वयस्क निवासी नेता का गुड़ा, तह० देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज०)
   5/2 वालीबाई (पुत्री कुका) पत्नी मोती जी डांगी आयु वयस्क निवासी भीमल चारणान, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती चम्पाबाई पिता स्व. पुरा जी डांगी मृतक के बजाए–
   6/1 कालु (माता चम्पाबाई) पिता वाला जी डांगी आयु वयस्क निवासी मन्देसर, तह० वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज०)
   6/2 दुर्गा पत्नी नाथु जी डांगी आयु वयस्क निवासी मन्देसर, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज०)
   6/3 मंयक पिता नाथु जी डांगी आयु 12 वर्ष नाबालिग बविलायत माता दुर्गा पत्नी नाथु डांगी निवासी मन्देसर, तह० वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का महाराज की खेडी, तह० वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार हल्का नामरी, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. उप पंजीयक अधिकारी मावली, तह० मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. उप पंजीयक अधिकारी वल्लभनगर, तह० वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज़०)

विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीया ।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 30.03.2026

1 प्रार्थीया द्वारा हस्तगत विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी नम्बर 1 ने प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) व विपक्षी नम्बर 2 से 10 के विरूद्ध मौजा काटका का कुंआ में स्थित आराजी नम्बर 1750, 1756 कुल किता 2 रकबा 1 बिघा 13 विस्वा, आराजी नम्बर 1753 रकबा 3 विस्वा, आराजी नम्बर 1535, 1566, 1574, 1755 कुल किता 4 रकबा 11 बिघा 14 विस्वा एवं मौजा घणोली तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 707, 708, 833, 843, 834 कुल किता 5 रकबा 4 बिघा 6 विस्वा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जो प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के विरूद्ध तारीख 26.10.2022 को एक तरफा का आदेश पारीत कर एक पक्षीय सुनवाई कर तारीख 28.08.2023 को वादीया के पक्ष में डिक्री किया गया है. जिसके मुकदमा नम्बर 101/2012 वाद पत्र है। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) ने अपनी ओर से पेरवी करने हेतु अधिवक्ता मुक्करर किये तथा कथित वाद में अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो रेकर्ड पर मौजुद है। जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित भूमि मौरूसी जायदाद नहीं है, बल्कि मौरूस परथा के समय की है व मौरूस परथा की मृत्यु सन् 1956 से पहले हुई है तथा वादी ने अपने वाद में कहीं यह अंकित नहीं किया है कि परथा की मृत्यु कब हुई है।

2 यह कि प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) वृद्ध विधवा महिला है तथा हर पेशी पर नहीं आ सकने के कारण अपने अधिवक्ता को कह रखा था कि प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) हर पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकेगी, जरूरत पडे तब अधिवक्ता प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को सूचित कर देवे, ताकि प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) उपस्थित हो सकेगी तथा अधिवक्ता ने भी प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को यह आश्वासन दिया कि उक्त मामले में वो पेरवी कर लेंगे व प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के आने की आवश्यकता नहीं है, जब भी जरूरत होगी उन्हें सूचना दे देंगे, जिस पर प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) अधिवक्ता के विश्वास पर रह गई। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के अधिवक्ता भी तारीख 06.10.2022 को न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारीत कर दिये गये है व एक तरफा कार्यवाही कर एक पक्षीय निर्णय तारीख 28.08.2023 को कर दिया गया है।

3 यह कि प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के अधिवक्ता ने प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को पेशी तारीख 06.10.2022 की कोई सूचना नहीं दी, न उस दिन प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) की उपस्थिती आवश्यक थी। लेकिन अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारीत कर दिये गये है एवं वादीया की साक्ष्य से जिरह का अवसर भी प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को नहीं दिया है। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) एक वृद्ध विधवा है, व अधिवक्ता के विश्वास पर रह गई और अधिवक्ता [illegible] सूचना नहीं देने पर अनुपस्थित रही है, कथित प्रकरण अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है, न्याय[illegible] लिये एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त फरमाया जाकर एक पक्षीय डिक्री को निरस्त करा प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के विरूद्ध पारीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

एक पक्षीय आदेश को निरस्त कराया जाकर प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के मुकाबले कार्यवाही कराई जाना आवश्यक है, वरना प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के साथ न्याय नहीं होगा। अधिवक्ता की गलती का दोष पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिये।

4 यह कि पेशी तारीख 06.10.2022 को प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) की उपस्थिती आवश्यक नहीं थी तथा अधिवक्ता कार्यवाही करा सकते थे। अधिवक्ता ने भी प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को सूचना नहीं दी, जिस कारण प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) अनुपस्थित थी। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) का अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण है तथा इसके बाद भी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) को कोई सूचना नहीं दी व इतने समय तक प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) को सूचना नहीं देने पर प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) द्वारा तारीख 30.05.2024 को अधिवक्ता से मिली व उक्त प्रकरण का पता किया तो अधिवक्ता ने बताया कि उनकी डायरी में भी पेशी नहीं लिखी है, कोर्ट से पता करते है, कोर्ट में जाकर पता लगाया तो मालुम हुआ कि कथित प्रकरण तारीख 28.08.2023 को एक तरफा डिक्री हो गया है, जिस पर कथित निर्णय व अन्य दस्तावेज की प्रतियों की नकलें लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर नकलें तैयार कर दी गई, नकलें मिलते ही यह प्रार्थना पत्र तैयार करा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो जानकारी से अन्दर मयाद है, इसके पुर्व प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को इस प्रकरण के फैसल होने की जानकारी नहीं थी, न अधिवक्ता ने ही उसे बताया था।

5 अंत में निवेदन किया की प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय आदेश तारीख 06.10.2022 व एक पक्षीय निर्णय व डिक्री तारीख 28.08.2023 को निरस्त फरमाई जाकर प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के मुकाबले कार्यवाही फरमाई जाने का आदेश बक्षाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

6 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) ने कथित प्रकरण में अपनी ओर से पेरवी करने हेतु अधिवक्ता मुक्करर कर रखा था तथा कथित वाद में अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो रेकर्ड पर मौजुद है। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) वृद्ध विधवा महिला है तथा हर पेशी पर नहीं आ सकने के कारण अपने अधिवक्ता को कह रखा था कि प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) हर पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकेगी, जरूरत पडे तब अधिवक्ता प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को सूचित कर देवे, ताकि प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) उपस्थित हो सकेगी तथा अधिवक्ता ने भी प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को यह आश्वासन दिया कि उक्त मामले में वो पेरवी कर लेंगे व प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के आने की आवश्यकता नहीं है, जब भी जरूरत होगी उन्हे सूचना दे देंगे, जिस पर प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) अधिवक्ता के विश्वास पर रह गई। पेशी तारीख 06.10.2022 को प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) की उपस्थिती आवश्यक नहीं थी तथा अधिवक्ता कार्यवाही करा सकते थे। अधिवक्ता ने भी प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को सूचना नहीं दी, जिस कारण प्रार्थीया (प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर ३) अनुपस्थित थी। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) का अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण है तथा इसके बाद भी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को कोई सूचना नहीं दी व इतने समय तक प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर ३) को सूचना नहीं देने पर प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) द्वारा तारीख 30.05.2024 को अधिवक्ता से मिली व उक्त प्रकरण का पता किया तो अधिवक्ता ने बताया कि उनकी डायरी में भी पेशी नहीं लिखी है, कोर्ट से पता करते है । कोर्ट में जाकर पता लगाया तो मालुम हुआ कि कथित प्रकरण तारीख 28.08.2023 को एक तरफा डिक्री हो गया है, जिस पर कथित निर्णय व अन्य दस्तावेज की प्रतियों की नकलें लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर नकलें तैयार कर दी गई, नकलें मिलते ही यह प्रार्थना पत्र तैयार करा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो जानकारी से अन्दर मयाद है, इसके पुर्व प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) को इस प्रकरण के फैसल होने की जानकारी नहीं थी, न अधिवक्ता ने ही उसे बताया था। कथित प्रकरण में प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) की अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण है व देरी का भी पर्याप्त कारण है, न्याय के लिये देरी के समय को कण्डोन कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया (प्रतिवादी नम्बर 3) द्वारा जानकारी होते ही अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में निवेदन किया की देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. अन्दर मयाद शुमार फरमाया जावे।

7 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 3, 5/1 से 6/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 का जवाब पेश नही कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 जा.दी. पर सीधे ही बहस करना चाहा। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

8 हमने उपस्थित उभयपक्षो के अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन व मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 101/12 उनवान हुडी बनाम भंवरू में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.08.2023 के विरूद्ध पेश किया है। स्वयं प्रार्थीया द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त वाद की जानकारी प्रार्थीया को थी। उक्त वाद में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता भी नियुक्त किया था तथा प्रार्थीया द्वारा जवाब भी पेश किया गया था। उसके पश्चात प्रार्थीया के विरूद्ध वाद में दिनांक 26.10.2022 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। लगभग 10 माह पश्चात दिनांक 28.08.2023 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र यह तर्क दिया गया कि प्रार्थीया वृद्ध होने से न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित नही हो सकने के कारण उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

आपकी जब भी जरूरत होगी उन्हे सूचना दे देंगे। इसके पश्चात अधिवक्ता द्वारा सूचना नही दी गई एवं पैरवी भी नही की गई। जिसके कारण प्रार्थीया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिए गए। न्यायालय प्रार्थीया के उक्त कथन से संतुष्ट नही है क्योंकि प्रार्थीया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 26.10.2022 को पारित किए गए एवं लगभगर 10 माह पश्चात डिक्री पारित की गई। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही होने के पश्चात भी लगभग 20 माह पश्चात अर्थात दिनांक 11.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। ऐसे में क्या प्रार्थीया द्वारा 20 माह तक अपने अधिवक्ता से संपर्क ही नही किया। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि प्रार्थीया अपने अधिकारो के प्रति सजग नही थी। प्रार्थीया द्वारा देरी से प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र का उचित कारण नही बताया, जिसे माना जा सके। प्रार्थीया को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। साथ ही प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नही किया की पूर्व में जारी डिक्री को क्यों खारिज किया जावे। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज योग्य पाया जाता है।

: : आदेश : :

परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मेंटेबल नही होने से खारिज किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested